English Version) of the Estimates Committee on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Twenty-third Report of Estimates Committee (Sixth Lok Sabha) on the Ministry of Information and Broadcasting—Directorate of Advertising and Visual Publicity.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

EIGHTH REPORT

SHRI BANSI LAL (Bhiwani): I beg to present the Eighth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Twentieth Report of the Committee on Public Undertakings (Sixth Lok Sabha) on Structure of Board of Management of Public Undertakings and other allied matters.

12.07 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMORTANCE

RECENT AGITATION BY LAWYERS AND OTHERS FOR SETTING UP A BENCH OF ALLAHABAD HIGH COURT IN WESTERN UP

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार): अध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

"पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की मांग के समर्थन में वकीलों और अन्य व्यक्तियों द्वारा हाल का आन्दोलन ।"

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मंत्री जी बयान दें उससे पहले मैं एक बार निवेदन करूंगा इसी विषय में...

अध्यक्ष महोदय : जिनके नाम आए हैं वही अलाऊ होंगे ।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं सिर्फ नीति की बात रख रहा हूं कि सस्ता न्याय देने पर सरकार वचनबद्ध है, इस आधार पर मंत्री जी वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : वक्त पर दें ।

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): Sir, the Government have seen press report to the effect that lawyers in various districts of Western Uttar Pradesh have been boycotting courts and agitating the demand for the establishment of a Bench of the Allahabad High Court to cater to the needs of the people of the western districts of Uttar Pradesh. A bandh is also reported to have been organized in some districts. The Government have also received representations from Bar Associations of the districts of Western U.P. as well as from other bodies and individuals making this demand. There have been press reports to the effect that the lawyers of the Allahabad High Court are opposing this demand and have also boycotted courts at Allahabad.

Demand for the establishment of a Bench of the Allahabad High Court for the Western districts of Uttar Pradesh has been made in the past from time to time, although different places have been suggested for the location of such a Bench. On a proposal made by the State Government of Uttar Pradesh in 1979 for the establishment of such a Bench at Meerut having jurisdiction over the Meerut and Garwal divisions and the districts of Moradabad and Rampur, the views of the present Government of Uttar Pradesh were sought. The State Government have recommended the establishment of a Bench to cover the

needs of the area comprised in the Commissioner's Divisions of Garhwal, Agra, Meerut, Moradabad, Bareilly and Kumaon. The proposal of the State Government was received on the 16th March, 1981. The State Government have not suggested the seat of the proposed Bench and have left the matter to be considered by the Government of India. The matter is engaging the attention of the Central Government.

श्री जनपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य यहां पढ़ कर सुनाया है, इसी से महसूस होता है कि शायद अभी भी माननीय विधि मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना के लिये संजीदे नहीं है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का यह आन्दोलन पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बैंच की स्थापना के लिये सन् 1966 से आज तक लगातार चल रहा है, लेकिन माननीय मंत्री जी आज भी अपने जवाब में यह कहते हैं कि हमने अखबारों में इस आशय की खबरें पढ़ी हैं । बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने मजबूत आन्दोलन की खबरें भी महज अखबारों में पढ़कर ही यह रह जाते हैं । यह आन्दोलन पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के पूरे 24 जिलों और 5 मंडलों में फैला हुआ है । इसमें पूरे व्यापारी, विद्यार्थी, मजदूर, किसान, वकील और ट्रांसपोर्ट ट्रक चलाने वाले लोग शामिल हैं । यह 24 जिलों में पूर्ण बंद सफल हुआ है । मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना मजबूत बन्द कभी नहीं हुआ है । मैं समझता हूं कि कोई ऐसा विषय या ऐसी समस्या और उत्तर प्रदेश के सामने नहीं आई होगी । माननीय मंत्री जी आज भी कहते हैं कि इस आशय की खबरें उन्होंने अखबार में ही पढ़ी है ।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि 16 मार्च, 1981 को इस आशय का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को मिला है । उसके जवाब में मंत्री जी कहते हैं कि हमको उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां की जो कैबिनेट है, उसने यूनैनिमसली जो फैसला किया है वह केन्द्रीय सरकार को भेजा है । मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश का, बयान था कि हमने पूर्ण बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बैंच होनी चाहिये और जगह का फैसला केन्द्रीय सरकार करेगी, क्योंकि यह उसका जूरिसडिक्शन है ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैसला करते वक्त आपसे कोई सलाह मश्विरा किया था या नहीं ?

मश्विरा किया था या आपको मश्विरा हुआ होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित की जाये, मैं उस झगड़े को नहीं उठाना चाहता, यह आपने उठाया है । मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियों के एम० पीज से कहना चाहूंगा कि वह जगह को लेकर कोई झगड़ा न उठायें क्योंकि सरकार की यह नीति देखने में मिलती है कि जब भी यह सवाल उठाया जाता है तो सरकार जगह और जनपद के सवाल को लेकर इस बात को तोड़ती रही है । मैं कहना चाहता हूं कि विधि मंत्री से कि जगह का फैसला आप करें जो भी उचित समझें वह करें । उत्तर काशी से लेकर आगरा या जहां भी आप उचित समझें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों के लोग आपके फैसले को मानने के लिये तैयार है, लेकिन यहां के लोग अब आपकी साजिश के शिकार नहीं होंगे ।

[श्री जगलाल सिंह]

मैं विधि मंत्री को यह भी बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बैंच का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना जरूरी क्यों है । हमारे माननीय विधिवेत्ताओं ने और जस्टिसों ने बारबार नारा दिया है जस्टिस कृष्णा अय्यर ने जो नारा दिया वह मैं बतना चाहूंगा । जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अपनी किताब "ला फ्रीडम एंड वैय में लिखा है :

"That law is for man and not man for law"

हमारे चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का नारा दिया था :

"The interest of litigants is supreme"

जस्टिस भगवती ने भी एक नारा दिया था :—

"Justice is the door-steps of litigants"

यह नारे बारबार उत्तर प्रदेश में और हमारी न्यायपालिका में चलते रहे है । 34,35 साल की आजादी के बाद भी आप अन्दाजा लगाइये कि उत्तर काशी इलाहाबाद से 825 किलोमीटर दूर है, अगर यहां का कोई आदमी न्याय मांगने के लिये इलाहबाद जाता है तो कितना महंगा न्याय उसको मिलता है, खासतौर से ऐसे वक्त पर जब कि हमारे लेजिसलेशन की टेंडेंसी हो गई हो की जुडिशियरी पर यकीन न रखती हो, जुडिशियरी से सिविल राइट छीनकर एग्जीक्यूटिव को देने में ज्यादा विश्वास रखती हो, पसन्द करती हो । आज चाहे सर्विस ट्रिब्यूनल हो, चाहे लेबर ट्रिब्यूनल हो या लेबर कोर्ट हो, डिप्टी लेबर कमिश्नर हो या लेबर ट्रिब्यूनल हो इनकी सारी की सारी अपीलें सीधे हाई कोर्ट में होती है, चाहे मजदूर को झूठे चोरी का आरोप लगाकर निकाल दिया हो, या टर्मिनेट कर दिया हों, सस्पेंड कर दिया हो या किसी मजदूर का हाथ जमींदार की मशीन में आकर कट गया हो, इन सब की सीधी अपील हाई कोर्ट में होती है ।

जो मजदूर पांच रूपये रोज कमाता है अगर उसको बारह हजार रुपये का कम्पेन्शन मिला है तो वह 800 किलोमीटर दूर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने के लिए आठ हजार रूपये खर्च करना कभी भी पसन्द नहीं करेगा । जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अपनी किताब "लीगल एंड टु दि पुअर" में लिखा है कि अगर किसी मजदूर या गरीब आदमी को न्याय प्राप्त करने के लिए लम्बा सफर तय करना पड़ता है, तो इसका अर्थ यह है कि उसके लिए न्याय पाने के अधिकार की अस्तित्व ही नहीं है ।

इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन से लेकर हाई कोर्ट तक फैले हुए टाउटिज्म के शिकार होते है । इलाहाबाद की एक अखबार **नार्दन इंडिया** पत्रिका में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि 1974 में बुलंदशहर के एक गांव के एक आदमी से टाउट का काम करने वाले एक मुशीं ने धोखे से 1200 रूपये वसूल कर लिये, जिसके बाद वकील और उसके मुंशीं को गिरफ्तार करके कर्नेलगंज पुलिस स्टेशन भेज दिया गया ।

विधि मंत्री न्याय के आधार भूत सिद्धांतों को अच्छी तरह समझते हैं । कानून के राज्य में हर एक नागरिक को न्याय पाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और इक्वेलिटी बिफोर दि ला की व्यवस्था होनी चाहिए । अगर उत्तर प्रदेश में किसी नागरिक को न्याय मांगने के लिए 800 किलोमीटर की दूरी तय कर के इलाहाबाद जाना पड़ता है, तो इक्वेलिटी बिफोर दि ला कैसे हुई अगर किसी छोटे आदमी, भूमिहीन या छोटे किसान को न्याय पाने के लिए 800 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो वह इक्वलिटी बिफोर दा ला नहीं है ।

कांस्टीटूशन के आर्टिकल 14 में सभी नागरिकों को इक्वेलिटी बिफोर दा ला का

अधिकार दिया गया है । इसके अतिरिक्त आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को यह पावर दी गई है कि वह नागरिकों के विभिन्न राइटस की रक्षा के लिए पब्लिक एथारिटीज ट्रिब्यूनल्ज आरबिट्रेटर्ज तथा गवनमेंट को निदेश, आदेश तथा रिट जारी कर सकती है किन्तु हाई कोर्ट के इतनी दूर स्थित होने के कारण गरीब आदमी, छोटे किसान और मध्यम किसान आर्टिकल 226 के अधीन अपने राइटस को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है ।

मैं विधि मंत्री से अपील करूंगा कि वह इस बहाने को छोड़ दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जगह नहीं बताई है । पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 24 जिले और 5 कमिश्नरियां बन्द में शामिल हुए थे । अगर मंत्री महोदय चाहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की पावर्ज को पूरी तरह एक्सरसाइज किया जा सके, तो वह उसका एक बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थापित करें, ताकि वहां के लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय मिले ।

मैं अपने जनपद की बात जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट का वकील हाई कोर्ट में अपील करने के लिए क्लायन्ट से पैसा और फाइल ले कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील को भेज देता है, मगर क्लायंट को पता नहीं होता है कि उसकी अपील एडमिट हुई है या नहीं और वकील को पैसा मिला भी है या नहीं ।

वर्तमान जनगणना से पता चला है कि आज हमारे देश की आबादी 68 करोड़ है । उत्तर प्रदेश की आबादी 12 करोड़ है । अगर 12 करोड़ की आबादी पर एक ही हाई कोर्ट हो, तो पूरे मुल्क में केवल पांच हाई कोर्ट होने चाहिए । हमारे देश में 22 राज्य और 9 केन्द्र शासित क्षेत्र हैं । अगर छोटे-छोटे राज्यों के लिए अलग हाई कोर्ट हो सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से वहां पर पांच या छः हाई कोर्ट के बेंच होने चाहिएं, जबकि हम सिर्फ एक की ही मांग कर रहे हैं ।

पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों की आबादी कितनी है ?—कम से कम साढ़े सात करोड़ । सहारनपुर से ले कर कानपुर तक की सारी इंडस्ट्रियल बल्ट उसमें शामिल है । आज मजदूरों को छंटनी के नाम पर और करप्शन की वजह से निकाल दिया जाता है । लेकिन मजदूरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे लेबर आफिसर या मालिक के खिलाफ हाई कोर्ट में जा कर अपील कर सकें और न्याय मांग सकें ।

मंत्री महोदय ने जो जबाब दिया है, वह बड़ा वेग और लाइट ढंग का है । अभी जो बन्द हुआ था, उसमें सब वर्गों के लोग शामिल हुए थे । मैं मंत्री महोदय को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता की ताकत की और आजमाइश करना चाहती है, तो जनता उसके लिए भी तैयार है ।

एक प्वाइंट मैं और कहना चाहूंगा । माननीय विधि मंत्री जी सुन लें । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले इलाहाबाद में कितने किलोमीटर दूर पड़ते हैं, यह मैं बताना चाहता हूं—उत्तर काशी 825 कि० मी०, टिहरी–752 किलोमीटर, चमोली 880 किलोमीटर, देहरादून 778 किलोमीटर, पौड़ी 692 किलोमीटर, पिथौरागढ़ 610 किलोमीटर, अल्मोड़ा–570, सहारनपुर–752, मुजफ्फरनगर–693, बिजनौर–692, नैनीताल–540, मेरठ–637, मुरादाबाद–558, रामपुर–533, पीलीभीत–488, बुलन्दशहर–567, बरेली–487, बदायूं–517,

[श्री जगपाल सिंह]

अलीगढ़-501, मथुरा-601, एटा-447, आगरा-454, मैनपुरी-462 और शाहजहांपुर-395 किलोमीटर । आप अन्दाज लगा सकते हैं कि आप के कांस्टीच्यूशन की आर्टिकल 14 में जो ईक्वलिटी का राइट दिया गया है वह बिल्कुल मीनिंगलेस है जब तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच जनता के नजदीक जाकर न्याय न दे । इसलिए मैं अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आप पर छोड़ दिया है कि केन्द्र को तय करना है कि कहां वह हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करें, तो आप जल्दी से जल्दी और जल्दी से भी ज्यादा अगर कर सकते हैं तो करें और आज ही इस हाउस में इस बात की घोषणा करें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना आप करेंगे । अन्त में मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि कब तक आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने काफी बड़ी भूमिका बांधी है। मैं जो समझ सका हूं, उन्होंने दो सवाल किए हैं । एक मैं आप निवेदन करूं कि जहां तक हमारी गवर्नमेंट है, इस बेंच के बारे में वह काफी संजीदा है। यह कहना कि हम संजीदा नहीं है, सही नहीं है। ....(व्यवधान) ....

मुझे निवेदन तो करने दीजिए। जैसा मेरे मित्र ने कहा कि इस बैंच के मुतल्लिक जो डिमांड है वह 1966 से है, लेकिन असल में पहली मर्तबा ठीक तरीके से जो प्रोपोजल आई थी वह 1979 में आई और उस में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा यह कि वह तेरह जिलों की हद को बैंच चाहते हैं । लेकिन अब जो प्रोपोजल स्टेट गवर्नमेंट का आया है जैसा मैं ने आप से निवेदन किया, 16 मार्च, 1981 को आया है, मुश्किल से 8–10 दिन की बात है और इस प्रोपोजल में उन्होंने तीन डिवीजन और बढ़ा दिए हैं। उनका अब ख्याल यह है कि गढ़वाल, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, बरेली और कुमायूं डिवीजन्स जिन में 25 जिले हैं उन सबको मिला कर बैंच कायम किया जाए। अब यह मामला बिल्कुल 8–10 दिन पहले आया है और मैं आप से निवेदन करूं कि मैं ने अगस्त, 1980 में खत लिखा था स्टेट गवर्नमेंट को कि 1979 के अन्दर जो प्रोपोजल भेजा गया था क्या वह ठीक प्रोपोजल है, मेहरबानी कर के आप बताएं कि आप की क्या राय है? उस पर उन्होंने यह खत लिखा है और खत को आप सब जानते हैं । पहले तो चीफ जस्टिस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं उन्होंने इस प्रोपोजल का विरोध किया है और न सिर्फ यह चीफ जस्टिस बल्कि इनके पेश्तर थे उन्होंने भी विरोध किया है। खुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी इस फेवर में नहीं है कि यहां बेंच कायम किया जाय तो इन हालात के मद्देनजर मैंने खत लिखा था स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट ने अब जो कहा है वह यह कि 6 डिवीजन्स को ले कर इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बैंच कायम होनी चाहिए।

एक बात मैं यह निवेदन करूं कि जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वह इस बात पर गौर करेगी जैसा मैंने बताया 8–10 दिन पहले ही यह आया है। मुझे फिर सवाल करना पड़ेगा चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, उस के बाद वह जो भी कहेंगे, उसे सामने रख कर यह जो प्रोपोजल है स्टेट गवर्नमेंट का इसका ठीक ढंग से कोई न कोई नतीजा

निकालना पड़ेगा। मैं इस वक्त इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि वक्त की जो बात है वह मैं कह नहीं सकता, आप सब जानते हैं कि इस के लिए कानून बनाना पड़ेगा और उस कानून को लेकर इसी पार्लियामेंट में मुझे आना पड़ेगा....

श्री जार्ज फर्नाण्डीस (मुजफ्फरपुर) : कितने दिन में आयेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : यह निर्भर है चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जवाब पर।

It is very difficult for me to commit at this stage. But I can assure that the Government will sympathetically consider this.

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : आपने प्रिंसिपल्ली एडमिट किया है कि बैंच इस्टैबलिश करेंगे।

SHRI P. SHIV SHANKAR: After all, there are some authorities from whom I have to get their own views. As I said, the Chief Justice of Allahabad High Court and the Chief Justice of the Supreme Court are also the relevant personalities from whom we have to get the views.

SHRI GEORGE FERNANDES: They have said 'no'.

SHRI P. SHIV SHANKAR: They have said 'no'. But having regard to the latter developments, they may change their views as many of us change our views often, particularly the hon. Member himself.

SHRI GEORGE FERNANDES: If they do not change their views, then what will happen?

SHRI P. SHIV SHANKAR: As I said, even in the absence of their views so far as the Central Government is concerned, it would sympathetically consider this issue. It is in this background, let me take the advantage of making an appeal to the lawyers of the Allahabad High Court, who have called, for a *bandh* on the 24th i.e. tomorrow to withdraw the agitation.

श्रीमती मोहसिना किदवई (मेरठ) : अध्यक्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बैंच कायम हो—यह एक पुरानी डिमाण्ड है जोकि पूरी तरह से जायज है। मैं समझती हूं बहुत दिनों से, उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्य मंत्री हुए हैं उन सभी ने इस पर अपनी सहमति जाहिर की है कि एक बेंच वहां पर होनी चाहिए। अभी आपने जो स्टेटमेन्ट दिया, इस से पहले उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने आपको रेकमेंडेशन्स भेजी थीं और आपने अपनी कठिनाइयां और दिक्कतों की बात यहां पर बयान की, मैं समझती हूं कि हमारे मेनिफेस्टो में यह बात है कि हम सस्ता न्याय दिलाने की, खास तौर से छोटे तबके को, कोशिश करेंगे और उसको देखते हुए आप इस बात को मानते हैं, आप हमदर्दी से गौर कर रहे हैं।

जहां तक आपने यह बात कही कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने बायकाट किया तो उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा लेकिन एक बड़ा भारी फर्क है शुमाल का जो हिस्सा है उस में और ईस्टर्न यू० पी० का जो हिस्सा है उस में—वहां यह सिर्फ कुछ वकीलों का मामला है जब कि इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह अवाम का मामला है क्योंकि अवाम उस से डायरेक्टली ईन्वाल्व्ड हैं। जैसा कि आपको बताया गया, गढ़वाल से साढ़े 8 सौ, 9 सौ किलोमीटर होकर इलाहाबाद पहुंचना पड़ता है। मेरठ, हसहारनपुर, मुजफ्फरनगर—यह जितने भी हिस्से हैं, वहां से इलाहाबाद जाना बड़ा मुश्किल होता

[श्रीमती मोहसिता किदवई]

है क्योंकि रेलवे की भी पूरी फैसिलिटी नहीं है। मेरठ से इलाहाबाद जाने वाली सिर्फ एक ही संगम एक्सप्रेस है जोकि रात को वहां से चलती है और अगले दिन दोपहर को इलाहाबाद पहुंचती है।

12.25 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

आपको यह भी मालूम है कि हाईकोर्ट के सामने कितने केसेज पैंडिंग हैं। साथ ही मैं यह बात भी कहना चाहूंगी कि जब हम आजाद हुए थे हमारे देश की आजादी 34 करोड़ थी जोकि आज 68 करोड़ हो गई है। उस वक्त आपने ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ की आबादी पर अपने प्रोग्राम बनाए होंगे लेकिन अब 68 करोड़ आबादी हो गई है उस को देखते हुए यह जो वहां के लोगों की जायज और जैन्युइन डिमाण्ड है कि मेरठ में हाई कोर्ट की बैंच खोली जाए उससे मैं भी सहमत हूं। वैसे इस में किसी जिले का कोई झगड़ा नहीं है, आपके हिसाब से जहां से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सकता हो वहीं पर आप बैंच कायम कर दीजिए। अभी तक ज्यादातर मेरठ की जो डिमाण्ड है वह इस लिहाज से है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको रेकमंड किया है कि मेरठ उपयुक्त स्थान है इसलिए वहां पर बैंच कायम होनी चाहिए।

आज हमारे सामने सवाल इस बात का है कि अगर हम सस्ता न्याय दिलाना चाहते हैं तो उस के लिए हमें कुछ कोशिशें करनी पड़ेंगी। हमारा कानून बेलचक कानून नहीं है जिसमें हम कोई तरमीम नहीं कर सकते। हमने बहुत सी तरमीमें की हैं। फिर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी स्टेट है जिसकी 12 करोड़ आबादी है। वहां लोगों की भलाई के लिए आपको जो भी कदम उठाना है उसको उठायें। आपने हड़ताल न करने की जो अपील की उस लिए हम आप के शुक्रगुजार हैं। आप उसके ऊपर गौर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कोई नतीजा निकालेंगे। वैस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की परेशानियों को देखते हुए आप हाई-कोर्ट की बैंच जरूर देंगे। उस तरफ के जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वे वही लोग समझ सकते हैं, जो वहां रहते हैं। आज भी वैस्टर्न-साइड के लोग बहुत से सी चीजों से महरुम हैं। इसलिए मैं आप से दरख्वास्त करूंगी, मैंने भी पहले इसके बारे में शार्ट-नोटिस क्वैश्चन दिया था, लेकिन आपने यह कॉलिंग-एटेंशन मंजूर किया है इस के लिए मैं आपकी आभारी हूं, लेकिन आपके पास जो उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकमेंडेशन्स भेजी है, उस को आप पूरी तरह से देख लें और जो भी प्रोसीजर है या जो भी तरीका है, उसको आप करें, लेकिन यह बेंच आप वहां के लिए मन्जूर करें, ऐसी मेरी आप से दरख्वास्त है। मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि आपको कितना वक्त लगेगा, इसका फैसला करने में?

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक वक्त का सवाल है, उपाध्यक्ष जी, मैंने इससे पहले भी निवेदन किया कि फैसला जल्दी से जल्दी लिया जाएगा और जैसा मैंने कहा है कि हमदर्दी से लिया जाएगा। इस से बढ़कर मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। यह जरूर है कि हमारे मैनिफैस्टो में यह वायदा किया है कि सस्ता न्याय दिलायेंगे और यह सिद्धांत बिल्कुल सही हैं कि न्याय न सिर्फ सस्ता बल्कि गरीब लोगों के दरवाजे पर उन लोगों को मिलना चाहिए। इस सिद्धांत को सामने रखते

हुए और जो दूसरे मसले हैं, उनको सामने रखते हुए यह कोशिश की जायेगी कि इसके बारे में ठीक ढंग से निर्णय लिया जाए।

मुझे यह ज्ञात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफी जिलों से काफी दूर पड़ता है, लेकिन जैसा सदस्य महोदया ने कहा, सवाल बैंच के काथम करने का है। यह सैन्ट्रल गवर्नमेंट के अपने निर्णय पर है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बैंच कायम करने के लिए स्टेट से राय लेना भी जरूरी है, क्योंकि इसके लिए उन्हें हमको बिल्डिंग और दूसरी सहूलियतें देनी हैं.... (व्यवधान)....मेरा निवेदन है कि कान्सलटेशन तो उनसे करना ही पड़ेगा।

श्री मनोराम बागड़ी : उन्होंने आपको इजाजत दे दी है।

श्री पी० शिव शंकर : यह सही है लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डिंग तो उनसे मिलनी है और दूसरी भी सुविधाएं लेनी हैं, इस बारे में तो उन से बात करनी पड़ेगी....(व्यवधान)..

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Government is very sympathetic. Don't spoil it.

श्री मनीराम बगौड़ी : यह बहुत अच्छा काम किया है। आखिर विधि मंत्री ने मन से यह बात कही है। यह तो एक किस्म का वचन दे दिया है।

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है, मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी हम निर्णय लेंगे और बहुत हमदरदाना तरीके से इस मसले पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय मैं थोड़े समय में कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, अगर आपके विचार मेरे से भिन्न हैं, तो मुझे क्षमा करेंगे। आपने 23 दिसम्बर, 1980 को एक प्रश्न का उत्तर दिया है, जिस में कहा गया है :

"Keeping in view the interests of the common man, and wherever it is necessary from that point of view to take justice to the door of the common man, we will certainly consider the establishment of this Bench."

यह ला मिनिस्टर ने जवाब दिया है।

श्री पी० शिवशंकर : मैं अब भी वही कह रहा हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं एक बात कहना चाहता हूं जिसने न्यायालय बढ़ते जाते हैं उतने अपराध भी बढ़ते जाते हैं ले किन आपका यह आधार क्या है मुझे आप अपना उत्तर देते हुए बताइए कि इलाहाबाद के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी जो रायें आपके पास भेजी हैं, वे रायें क्या हैं? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो 14 ला-कमीशन की रिपोर्ट है अगर आप ने जगह-जगह पर बैंचें खोल दीं तो क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं कि उनको अच्छा बार नहीं मिलेगा, अच्छ वकील उपलब्ध नहीं होंगे और साथ ही लोगों को मुकदमों में ज्यादा घसीटा जायगा। यह झगड़ा वकीलों का है मेरठ के वकील चाहते हैं.... (व्यवधान).....मैं उन को बता देना चाहता हूं—मेरठ के मुकदमा लड़ने वाले दिल्ली से वकील ले जायेंगे..

[श्री मूल चन्द डागा]

अगर आप इस देश के अन्दर हाई कोर्ट की बैंचज जगह-जगह कायम करना चाहते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बैंचज भी जगह-जगह होनी चाहिएं कल यह बात भी कही जायगी ....

श्री जगपाल सिंह : होनी चाहिए।

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please. You address the Chair.

श्री मूल चन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाय– 14वें ला कमीशन की रिपोर्ट में यह बात साफ कही गई है कि एक प्रान्त के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए । मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं..

श्री मनीराम बागड़ी : तब तो य० स्टेट टूटेगी, उत्तर प्रदेश के टुकड़े होंगे।

श्री मूल चन्द डागा : इस प्रकार बैंच होने से कई बार एक ही स्टेट में कन्ट्राडिक्टरी जजमेन्टस हो जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज एक जजमेंट देता है, हाई कोर्ट के बैंच का जज दूसरा जजमेन्ट देता है... (**व्यवधान**) ....अगर हमको अच्छी बार बनानी है, हाई कोर्ट की एक अच्छी इंस्टीचूशन कायम करनी है तो उन को जगह-जगह ले जा कर खराब मत कीजिए। जो लोग मुकदमों में पड़ना नहीं चाहते हैं वकील लोग उन को मुकदमों में ले जायेंगे ...

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या वह गलत है?

श्री मूल चन्द डागा : राजस्थान ने भी गलत कदम उठाया है.... (**व्यवधान**) .... क्या यह बात सही है कि इस प्रकार बैंच खुल जाने से इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को समय-समय पर मेरठ भी जाना पड़ेगा.. क्या यह बात भी सही है कि अगर कभी फुल-बैंच का जजमेंट लेना होगा तो फिर सारे जजेज को इलाहाबाद जाना पड़ेगा और इस तरह से आने-जाने का भार पड़ेगा। मैं यह महसूस करता हूं कि यह उसूल के खिलाफ है, सिद्धांत के के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 1979 में आप की क्या राय दी— मेहरबानी कर के आप उस राय को सदन में बतलायें। मैं फिर आप से कहना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें। यह तो कुछ वकील लोगों की मांग है, मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह से न्यायालय खोले जायें। अगर आप ने इस तरह से खोलने की बात कर दी तो हर प्रान्त में इस तरह की मांग उठेगी, जहां दो हैं वहां चार के लिए कहा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि एक प्रांत में एक ही हाई कोर्ट होनी चाहिए और अगर कहीं पर दो हैं तो उनको एक कर दीजिए।

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please listen to the Minister *(Interruptions)*. This is the opinion that has been expressed. Please listen to the Minister.

SHRI P. SHIV SHANKAR: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am aware of the two Reports of the Law Commission, namely, the Fourth and the Fourteenth Reports. And my friend wanted that the letters of the Chief Justice containing their opinion should be made available. It may not be in public interest to give the entire letter, but as I said, broadly they were not in favour of having a Bench in the Western part of Uttar Pradesh. In my submission there can be no hard and fast rule in matters of this nature and particularly when there is a wide gap

between what we say and what we practice. Necessarily a clear approach will have to be taken where some adjustment of the competing claims will have to be resolved. It is from this point of view I said on the 23rd December 1980 which my friend has reminded me. I have already reiterated that view which I expressed in December, 1980. If a proper case is made out, necessarily we have to consider as to why a Bench of a particular High Court should not be set up at a different place. It ultimately depends on the facts of each case. It is one view where some people say that if you have Benches at different places, the efficiency of justice will be affected.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): That is a perverted view.

SHRI P. SHIV SHANKAR: I would not say what type of view is this. This can be one view. But that view alone cannot guide us for the purpose of taking a decision. I am of the view that the case of setting up a Bench in the western districts will be considered on its own merits. As I said it is under active sympathetic consideration.

SHRI M. C. DAGA: What are the criteria?

MR. SPEAKER: Better luck next time.

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : उपाध्यक्ष जी, इस बैंच के विषय में जो मंत्री यह कह कर टालना चाहते हैं कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से पूछ कर जवाब देंगे, तो मैं उन से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और वह यह है कि इतने जिलों के लोग, अभी तक जो वहां पर कोर्ट बन्द पड़े हैं और कोर्ट नहीं खुल रहा है, ग़रीब से ले कर अमीर तक, जो किसी न किसी केश में फंस कर जेल चले गये हैं और उन की जमानत नहीं हुई है और वे जेलों के अन्दर पड़े हुए सड़ रहे हैं, उन के विषय में मंत्री जी क्या सोच रहे हैं ताकि उन को न्याय शीघ्र मिल सके।

मान्यवर, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बैंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुलने का इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने लिए न्याय मांगने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है और इस के कारण जो वहां का ग़रीब आदमी है या कोई भी हो, उस का बहुत बड़ा शोषण इलाहाबाद में जाने के बाद होता है। पहले तो वहां के वकील अपनी इतनी अधिक फ़ीस उस से मांग लेते हैं कि वह दे नहीं पाता है और अगर वह फ़ीस दे देता है, तो उस के पास इतना भी पैसा नहीं बचता कि वह अपना जेब खर्च निकाल सके। वहां पर ठहरने के लिए और रिक्शा आदि के लिए उस के पास पैसा बाकी नहीं बचता। मेरे क्षेत्र के जो लोग वहां गये हैं, उन को यह कहते हुए मैंने सुना है कि उन के पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा था और वकील से पैसा लेकर वे अपने घर पहुंचे हैं और अब दोबारा इलाहाबाद में जा कर हाई कोर्ट में न्याय पाने की स्थिति में वे नहीं हैं। यह हालत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की इलाहाबाद में जा कर होती है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वे जो यह कह कर टाल रहे हैं कि हम पूछ कर जवाब देंगे, इससे पूछेंगे और उस से पूछेंगे, इस तरह की बात वे न करें। इस से वहां के लोगों को शीघ्र न्याय नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार से खुली बात यह आ गई है कि यह सेण्ट्रल गवर्नमेंट का मामला है और जितनी जल्दी वह इस के बारे में फ़ैसला कर देगी, उसे हम मानने को तैयार हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना और करना चाहता हूं। मैं इस विषय में कुछ कहना तो नहीं चाहता था और न कोई मांग इस तरह की उठा रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमुक जिले में इस बैंच की स्थापना हो जाए लेकिन फिर भी मैं

[श्री मंगल राम प्रेमी[

एक सुझाव देना चाहता हूं । जिला बिजनौर में एक बिल्डिंग बन कर तैयार हो गई है और कई लाख रुपये की यह बिल्डिंग बन कर तैयार हुई है । अगर वहां पर यह बेंच स्थापित हो जाए तो बहुत उपयुक्त होगा । मैं इस के लिए मांग करता हूं । मंत्री जी इस पर विचार कर लें और सोच लें कि क्या यह हो सकता है । यह ऐसी जगह हो जाए जिससे कि सभी को संतोष हो ।

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष जी, सम्मातनीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि इसको हम टाल रहे हैं, यह उचित नहीं है । मैं आप से निवेदन करूं कि हम इसको टालने की कोशिश में नहीं हैं । जैसा कि मैंने निवदन किया कि कानून में यह जरूरी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के विचार लें और सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिश के विचार लें, उसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुंचें । इसलिए यह कहना कि हम इश को टाल रहे हैं वह ठीक नहीं है ।

जहां तक उन्होंने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात कही कि वहां एजीटेशन चल रहा है अदालतें बंद हैं, इसका मुझे खेद है और मैं इस हाउस के वकील भाइयों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि व अदालतों का बाय-काट न करें । (व्यवधान) यह मामला एजीटेशन से हल नहीं होगा । उन्होंने अपना पक्ष हमारे सामने रख दिया, जैसा कि मैंने निवदन किया, हम बहुत हमदर्दाना तरीके से इस मासले को हल करेंगे । एजीटे-शन के तरीके से कोई मसला ठीक ढंग से हल नहीं हो सकता है ।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि बिजनौर में बिल्डिंग तैयार है, मैं आप से निवेदन करूं कि आगरे के लोग यह चाहते हैं कि आगरे में बेंच कायम हो, इसी तरह से मेरठ के लोगों और बरेली के लोगों के भी क्लेम्स आ रहे हैं । एक मर्तबा निर्णय ले लेने के बाद फिर गवर्नमेंट आफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से बात कर के इस मसले को ठीक ढंग से हल निकालेगी कि इसे कहां पर कायम करना चाहिए, इस बारे में क्या होना चाहिए ।

श्री धनिक लाल मण्डल (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हाई कोर्ट की बैंच कहीं बने, लेकिन जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं, उनको, इसको एक मुद्दा बना कर, आपस में लड़ाने का काम मंत्री जी न करें और जो एक जगह चुनने का अधिकार सबों ने आपको दिया है इस अधिकार का प्रयोग कर के आप एक समुचित स्थान का चयन करें ।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह सही कहा है कि यह आन्दोलन का विषय बिल्कुल नहीं है और इस तरह के प्रश्न को आन्दोलन का विषय किसी को भी नहीं बनाना चाहिए । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार बिना आन्दोलन के कोई निर्णय नहीं करती है ।

सुप्रीम कोर्ट की दक्षिण में बच होने की मांग बराबर होती रही है । अब वह चाहे हैदराबाद में बने, मद्रास में बने, बंगलौर में बने या त्रिवेन्द्रम में बने । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से भी एक बेंच की मांग बराबर होती रही है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 1966 से यह मांग होती रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह बने । उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के रहने वालों की भी यह मांग बराबर रही है कि गोरखपुर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच बने । हम लोग जो बिहार से चुन कर आते हैं उनकी भी यह मांग है कि पटना हाई कोर्ट की एक बेंच उत्तरी बिहार में बने । इस तरह की मांग होती

रही हैं। फिर मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सस्ता और समय पर सभी को न्याय मिले। जस्टिस डिलेड इस जस्टिस डिनाईड। क्या मंत्री जी इस बात से इंकार कर सकते हैं कि लाखों-लाख मामले हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और बार-बार सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि जो बेकलाग है, उसको क्लीयर किया जायेगा और जस्टिस को स्ट्रीमलाईन किया जायेगा। कोर्टों में मामले वर्षों वर्षों से नहीं डिकेड्स से बकाया पड़े हैं। उनको तीन महीने या छः महीने में निपटाने के लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं? जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा : "जस्टिस एट डोर स्टैप्स" या सस्ता न्याय और समय से न्याय मिले, 'जस्टिस डिलेड—जस्टिस डिनाइड", आन्दोलन भी नहीं होने चाहिए, आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी समय पर और सस्ता न्याय देने की बात कही है, इन सारी बातों को देखते हुए क्या आप कोई ऐसा हाई पावर कमीशन—उच्च शक्ति प्राप्त आयोग का गठन करेंगे, जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बैंचों की मांगों के बारे में विचार करके कोई निर्णय लिया जा सके। उत्तर प्रदेश के बारे में तो मंत्री महोदय के जवाब से ऐसा लगता है कि वे वहां पर बैंच की स्थापना करने जा रहे हैं, जगह का ऐलान अभी नहीं किया गया है, कर देते तो अच्छा होता, लेकिन एक बात तय है कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई-कोर्ट की बैंच की आवश्यकता को मान लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अपने सिद्धातों और वादों के अनुसार और अपने इलेक्शन मेनिफैस्टो में जो आपने घोषणा की है, उसके अनुसार क्या आप किसी ऐसे आयोग का गठन करेंगे जो इन सारी बातों पर विचार करके अपना कोई निर्णय ले सके और उस पर आप अमल करें?

श्री पी० शिव शंकर : उपाध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य ने एक जनरल इश्यू खड़ा कर दिया है। जहां तक हुकूमत का सवाल है, हम किसी के झगड़े में डालना नहीं चाहते, जैसा कि वे कह रहे थे। इलाहाबाद या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एजीटेशन हो रहे हैं उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। आप जानते हैं कि वकीलों के क्लैश आफ इण्टरेस्ट की वजह से एजीटेशन हो रहे हैं, उसमें किसी पार्टी का सवाल पैदा नहीं होता। इस प्रकार की मांगें हर जगह से आ रही हैं कि हाई कोर्ट की बैंच स्थापित की जाए, कोई कमीशन कायम किया जाए। इससे पहले कि कोई कमीशन कायम किया जाए, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ला-कमीशन की चौथी और चौदहवीं रिपोर्ट हमारे सामने है, और ज्यूडिशियल रिफार्म्स कमेटी हम बना रहे हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि उसका विवरण मैं जल्दी से जल्दी सदन में प्रस्तुत करूंगा। हर इश्यू को और हर विषय को उसकी मैरिट के अनुसार तय किया जाएगा। आम तरीके से इस पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। हमारा सिद्धान्त है कि न्याय सस्ता हो और गरीबों के घर तक पहुंचे, इस सिद्धान्त के तहत दूसरे जो मसले हैं, जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज पर विचार करके अगर कहीं पर वास्तव में बैंच बनना चाहिए तो उस इश्यू पर अलग तरीके से विचार किया जाएगा। सिर्फ एक सिद्धांत से काम नहीं होता, और भी कई इश्यूज होते हैं, सब पर विचार करके जहां मुनासिब समझा जाए वहां पर बैंच कायम होनी चाहिए। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

MR. DEPUTY SPEAKER: The Committee on Absence of Members from the sittings of the House in their Third